

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कासोपिवा

:- आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कासोपिवा व भू.अ.नि. 57/कल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कासोपिवा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जनाबन्दी सम्वत् 2078-79 में खाता संख्या 85 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1)	कासोपिवा	85	देड अ	देड च-प

(रतनलाल रेग्वा)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 434 / 18

दिनांक 18/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाय ।
2. प्रार्थी श्री म.नि. देड धर्मपत्नी रामदयाल को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेग्वा)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा